ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-5* Issue-6* September-2020
Anthology : The Research

# मध्य प्रदेश में निःशक्तो के लिए सुविधाऐं

# Facilities For The Disabled in Madhya Pradesh

Paper Submission: 15/09/2020, Date of Acceptance: 26/09/2020, Date of Publication: 27/09/2020

**राजश्री शास्त्री**
प्राध्यापक
समाजशास्त्र विभाग,
एक्ससेलेन्स कॉलेज,
भोपाल, भारत

**शबनम शहादत**
शोधार्थी
समाजशास्त्र विभाग
बरकत विश्वविद्यालय,
भोपाल, म.प्र. भारत

**सारांश**

शारीरिक रूप से बाधित व्यक्तियों के कल्याणकारी सेवाओं का इतिहास भारत में मुख्य रूप से स्वतंत्रता के उपरांत ही आरंभ हुआ। स्वतंत्रता पूर्व भारत में कोई भी ऐसी मान्य संस्था न तो सरकारी क्षेत्र में थी और ना निजी कल्याण क्षेत्र में, जो शारीरिक दृष्टि से बाधित व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वासन से संबंधित रही हो। जो भी सेवाएं और कार्यकाल थी केवल अस्पतालों और हड्डी के डॉक्टरों तक ही सीमित थी। वास्तव में शारीरिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों के चिकित्सा एवं व्यावसायिक उपचार की आवश्यकता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई। सर्वप्रथम सन 1944 में पूना में युद्ध से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कृत्रिम अंग केंद्र स्थापित हुआ। 1950 में इस केंद्र की सेवाएं जनसाधारण के लिए भी खोल दी गई। सितंबर 1984 को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर महापालिका के संयुक्त प्रयासों से विकलांग कल्याण विभाग का गठन किया गया तथा 7 फरवरी 1996 को अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य निः शक्ता व्यक्तियों को सुविधाएं, सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों का दायित्व निर्धारण करना है ताकि वे देश के उत्पादक व उपयोगी नागरिक के रूप में समान अवसर प्राप्त कर अपनी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित कर सके। अधिनियम के अंतर्गत विकलांगजनों के शिक्षा, रोजगार, व्यवसायिक प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान व मानव शक्ति विकास, बाधा रहित वातावरण, सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रावधान है।

The history of the welfare services of physically challenged persons started in India mainly after independence. In pre-independence India, there was no recognized institution either in the government sector nor in the private welfare sector, which was concerned with the welfare and rehabilitation of physically challenged people. Whatever services and tenure were limited to hospitals and bone doctors only. In fact, the need for medical and vocational treatment of physically challenged people was during World War II. The first artificial limb center was established in Poona in 1944 for war victims. In 1950, the center also opened its services to the general public. Disabled Welfare Department was formed on September 1984 with the joint efforts of Central Government, State Government and Municipal Corporation and notified on 7 February 1996. The purpose of this Act is to determine the responsibility of the Central and State Governments, local bodies for providing facilities, services to persons with disabilities so that they can ensure their full participation by getting equal opportunities as productive and useful citizens of the country. Under the Act, there is a provision for education, employment, vocational training, reservation, research and manpower development, environment without barrier, social security of the disabled.

**मुख्य शब्द :** चलन दिब्यांगता, श्रावण बाधित, बौद्विक दिव्यांगता, दृष्टि बाधित, कम ऊंचा सुनना, प्रमष्तिक घात, मांसपेशी दुर्विकार, अल्प दृष्टि, बहु दिव्यांतगता, सक्कल कोशिका रोग।

Trend, Disability, Hearing Impaired, Intellectual Disabilities, Impaired Vision, Low Hearing, Cerebral Palsy, Cerebral Maladies, Short Sightedness, Multiple Disabilities, Sakkal Cell Disease.

**प्रस्तावना**

किसी भी देश की प्रगति वहॉ के बालको शिक्षा दीक्षा पर निर्भर करती है। यदि शिक्षण एंव प्रशिक्षण उत्रत किस्म का होगा तो छात्रों की योग भी विकसित होगी। इसी विकास से जुडा है उस देश का विकास सामान्य बालक तो इस देश की धरोहर है परन्तु दिव्याग बालक भी कमं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होता है। सभ्य समाज अथवा विकासशील समाज का दायित्व यह हो जाता है कि वह सामान्य बालकों के समान ही दिव्याग बालकों की शिक्षा दीक्षा एंव प्रशिक्षण की व्यवस्था उनके अनुसार करायें । विकसित देशों मे तो काफी अध्ययन हुए हैं तथा उन पर क्रियान्वयन किया गया हैं जिसके अच्छे परिणाम आये है। परन्तु विकासशील देश की आर्थिक दशा ठीक न होने तथा विकसित देशाों से समानता की होड ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है जिससे एक बहुत बडी दूरी निर्मित हो गई है।

दिव्याग बालक का समायोजन एंव उनकी शैक्षिक उपलब्धि अथवा उपलब्धि प्ररणा एक गंभीर समस्या है। दिव्याग के लिए बुनियादी समाज का उनके प्रति दुठिकोण तथा उनकी समस्या का मसय रहते सहानुभूति पूर्वक निदान। जब तक समाज द्वारा उनको समाज के अंग के रूप में मान्यता प्रदान नहीं हो जाती तब यह समस्या बनी रहेगी जो सामाजिक विकास में बाधक बनती रहेगी।

दिव्यांग बालक को उपयुत प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार में लगाना उनके पुनर्वास का एक आवश्यक अंग है। रोजगार दिव्यांग के लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना एक सामान्य व्यत्ति के लिए अभी तक जितने भी अधययन हुए हैं उन से पता चलता है कि दिव्यांग को यदि उपयुत्त वातावरण मिले तो उनकी छिपी हुई प्रतिभा और अधिक उभर कर सापने आती है। यह दिव्यांगता से ऊपर उठकर समाज में अपना सम्मानजनक स्थान बना लेते हैं और अपने कार्यो से उन क्षेत्रों में भी स्थान बना लेते है जहां दिव्यागों द्वारा कार्य करना अकल्पनीय माना जाता है। दिव्यांग व्यत्तियों का प्रशिक्षण तभी उचित और पूर्ण माना जाएगा जब उनके खराब अंगों की छाया उनके सही अंगों पर ना पड़े और सही अंग कितने विकसित हो जाएं कि अपने काम के साथ खराब अंग का भी कार्य करने लगे तांकि दिव्यांगता के कराण हुई शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षति ज्यादा से ज्यादा पूरी हो सके

दिव्याग के बावजूर उनमें जीने की लालसा पनपते रहती है परन्तु सामाजिक परिवेश एंव शिक्षा व्यवस्था की खामियॉ उनमें समायोजन के विकास को रोक देती है और वह कुण्ठा ग्रस्त हो जाते है।

निः शक्तो को सभी सविधाऐ दोकर और उनकी शिक्षा रोजगारोन्मुखी होनी चाहिए जिस से कि वह देश को विकास कर सके

**अध्ययन के उद्देश्य**

1. शिक्षा में सुविधायें
2. सरकार द्वारा योजनाओं को जानना

**केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सुविधा**

दिव्यांगों को राज्य शासन एवं केंद्र शासन द्वारा दी जा रही सुविधाएं

1. समाज कल्याण विभाग द्वारा नियमित अध्ययनरत दिव्यांगों को छात्रवृत्ति दी जाती है जोकि कक्षा अनुसार रू25/रू75 प्रतिमाह है।
2. दिव्यांग बालक को और वयस्कों को कृत्रिम अंग निशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं।
3. दिव्यांगों को शासकीय सेवा में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए दिव्यांगों के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है।
4. दिव्यांगों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र में 10 वर्ष की छूट दी गई है।
5. दिव्यांग बालकों के लिए एकीकृत शिक्षा योजना शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जाती है जिसके अंतर्गत प्रति विद्यार्थी को 200 आवास और भोजन का प्रदान किया जाता है। हाथ से दिव्यांग होने पर टाइपिंग अहर्ता में छूट दी जाती है।
6. दिव्यांगों को राज्य परिवहन बसों में 25 प्रतिशत किराए की छूट दी जाती है इसके साथ जाने वाले की छूट की पात्रता नहीं है।
7. निशुल्क चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए संभागीय मेडिकल बोर्ड की विशेष सुविधा दी गई है।
8. दृष्टिहीन विद्यार्थियों को परीक्षा में राइटर की सुविधा दी जाती है।
9. दृष्टिहीन विद्यार्थियों को निशुल्क ब्रेल पुस्तकें प्रदान की जाती है।
10. राज्य सरकार द्वारा आवास के आवंटन में 1 प्रतिशत का आरक्षण किया गया है।
11. रेल यात्रा में नेत्र दृष्टिहीन ओ और अस्थि बाधित दिव्यांगों को सहायक के साथ जाने पर 75 प्रतिशत किराए में छूट दी जाती है।
12. रेल में मंदबुद्धि बाधित को यात्रा किराए में 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है।
13. वायुयान में इंडियन एयरलाइंस द्वारा दोनों आंखों से दृष्टिबाधित को मूल किराए में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है अस्थि बाधित जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 80 या उससे अधिक है उन्हें भी छूट का लाभ मिलता है।
14. केंद्र सरकार के सभी विभागों में तृतीय या चतुर्थ वर्ग की सेवा में 3 प्रतिशत आरक्षण है।
15. गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराने में 3 प्रतिशत का आरक्षण रखा गया है।
16. केंद्र शासन के रिक्त पदों की भर्ती हेतु पूर्व आयोजित प्रतियोगी चयन परीक्षा के शुल्क में दिव्यांगों को छूट प्रदान की गई है।
17. संघ लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञप्ति अराजपत्रित पदों के लिए शारीरिक रूप से निशक्त को परीक्षा शुरू किया आवेदन शुल्क में छूट प्रदान की गई है।

**शिक्षा में सुविधाएं**

लेखक की उपलब्धता– माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा दृष्टिहीन परीक्षार्थी, स्पष्टिक सेरेब्रल पाल्सी (मानसिक रूप से दिव्यांग से पीड़ित) एवं

ऐसे परीक्षार्थी जो हाथ की हड्डी टूट जाने के कारण एवं धात की खराबी के कारण लिखने में सक्षम ना हो को परीक्षा में लेखक दिए जाने की पात्रता देता है, अधिक शैक्षणिक योग्यता का छात्र लेखक के रूप में ना दिया जाए, लेखक की योग्यता विभिन्न परीक्षाओं के लिए निम्नानुसार रहेगी।

1. हाई स्कूल/प्री प्राइमरी/फिजिकल एजुकेशन परीक्षा के लिए कक्षा आठवीं में अध्ययनरत।
2. डिप्लोमा इन एजुकेशन परीक्षाओं के लिए अधिकतम कक्षा आठवीं में अध्ययनरत।
3. 12वीं परीक्षाओं के लिए अधिकतम कक्षा नवमी में अध्ययनरत।
4. दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए छात्र जिस परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है, उससे एक कम अध्ययनरत लेखक दिया जाय उदाहरणार्थ यदि छात्र कक्षा हाई स्कूल परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है तो उसे कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्र के लेखक उसी संस्था के हो सकते हैं।

**अतिरिक्त समय**

दृष्टिहीन/स्पष्टिक सेरेब्रल पाल्सी (मानसिक पक्षाघात) से पीढ़ित छात्रों को प्रश्न पत्र हल करने के लिए सामान्य रूप से दिए जाने वाले 3 घंटे के समय में अतिरिक्त आधे घंटे का और समय दिए जाने का प्रावधान है।

**भाषा विकल्प**

मूक बधिर परीक्षार्थियों को मंडल की परीक्षा में 2 सामान्य भाषाओं के स्थान पर मात्रा के सामान्य भाषा हिंदी अंग्रेजी लेकर परीक्षा में सम्मिलित होने की सुविधा है। इन दिव्यांग छात्रों को विशिष्ट भाषा से छूट की पात्रता भी है। नेत्रहीन दिव्यांग छात्रों को गणित के स्थान पर संगीत ले सकेंगे इन दिव्यांग छात्रों की विज्ञान की प्रायोगिक परी है केवल मौखिक होगी।

नेत्रहीन मुख एवं बधिर गणित विज्ञान के स्थान पर संगीत या चित्रकला ले सकता है।

**शुल्क में छूट**

1. कक्षा 1 से 8 तक के समस्त दिव्यांग बच्चों को कक्षा 9 से 12वीं तक की दिव्यांग लड़कियों के लिए निशुल्क शिक्षा का प्रावधान है।
2. मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल के माध्यम से निशुल्क बच्चों को कक्षा दसवीं और बारहवीं प्रवेश शुल्क में 25: की छूट देने का प्रावधान है।
3. उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में दृष्टिहीन ओ एवं मूकबधिरों को परीक्षा में छूट दी गई है।
4. पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता–
5. राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के दिव्यांग बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तिका प्रदान करने का प्रावधान है।
6. कक्षा 6 से 12 तक के दिव्यांग बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा किए जाने का प्रावधान है।
7. राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 1 से 8 तक के दृष्टिहीन विद्यार्थियों को निशुल्क ब्रेल पुस्तकें प्रदान करने का प्रावधान है।

**छात्रवृत्ति**

मध्य प्रदेश शासन के द्वारा समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत दिव्यांग जनों के लिए कक्षा 1 से स्नातकोत्तर शिक्षा तक छात्रवृत्ति का प्रावधान है। साथ ही यह छात्रवृत्ति या अन्य छात्रवृत्ति के साथ ही प्राप्त हो सकती है। आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश शासन ने अपने आदेश क्रमांक पीएमएस 113/12165, भोपाल दिनांक 12/05/1998 मैं इसका स्पष्ट उल्लेख किया है।

समेकित शिक्षा योजना के द्वारा दी जाने वाली सुविधाऐं–

समेकित शिक्षा योजना एक केंद्र प्रवर्तित योजना है। जिसके तहत केंद्र सरकार निर्धारित मापदंडों के आधार पर राज्य सरकार को शत प्रतिशत आधार पर सहायता देती है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ अध्ययन कराते हुए समाज की मूल धारा से जोड़ना है। योजना के तहत दिव्यांग बच्चों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती है।

1. रू 400 प्रतिवर्ष की दर से पुस्तकों और लेखन सामग्री पर हुआ खर्च
2. रू 300 प्रतिवर्ष की दर से कपड़ों ड्रेसर पर हुआ वास्तविक खर्च
3. रू 50 प्रति माह की दर से परिवहन भत्ता। (10 माह हेतु)
4. यदि बच्चा दृष्टिहीन है तो कक्षा 6 से 12 तक रू 50 प्रति माह की दर से वाचक भत्ता। (10 माह हेतु)
5. निचले भाग के अत्यधिक दिव्यांग से ग्रस्त अलग–अलग दिव्यांगों के लिए रू 75 प्रति माह की दर से मार्ग रक्षण भत्ता। (10 माह हेतु)
6. 5 वर्ष की अवधि के लिए उपकरणों का वास्तविक मूल्य प्रति विद्यार्थी अधिकतम रू 2000।
7. अलग–अलग दिव्यांगता से युक्त बच्चे के मामलों में विद्यालयों के लिए एक परिचर्या को रखने की व्यवस्था की जाती है।
8. छात्रावास में रहने वालों के लिए छात्रवृत्ति की कोई योजना नहीं है। रू 200 प्रति माह की दर से वास्तविक बोर्डिंग व लॉजिंग प्रभार दिया जाता है।

भारत सरकार राज्य सरकार एवं सामाजिक न्याय विकलांग कल्याण द्वारा विभिन्न योजनाओं की

**सुविधएं एवं व्यवस्था**

1. निराश्रित दिव्यांगों को भरण– पोषण अनुदान (विकलांग पेंशन व्यवस्था)– इस योजना का प्रारंभ वर्ष 1978–80 मैं हुआ था जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से आज सक्षम विकलांगों को जिनकी मासिक आय हजार रुपए तक है को 125 प्रतिमाह की दर से भरण–पोषण अनुदान प्रदान किया जाता है।
2. दिव्यांग छात्रों एवं दिव्यांग व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृत्ति– दिव्यांग छात्रों के सर्वांगीण विकास एवं उनके पुनर्वासन हेतु शिक्षा प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से उन्हें छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग छात्रों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के बच्चों (छात्रों) को छात्रवृत्ति दिए जाने की व्यवस्था है। इस छात्रवृत्ति की सुविधा

उन्हीं छात्रों को अनुमन्य है जिनके अभिभावकों की मासिक आय रुपए 8 हजार से कम है। इस योजना से प्रतिवर्ष लगभग 22929 छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। जिसके लिए रुपए 116.09 लाख धनराशि का प्रावधान वर्तमान वित्तीय वर्ष में किया गया है एवं इतनी ही राशि की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है।

3. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/श्रवण सहायक यंत्र क्रय करने हेतु अनुदान की व्यवस्था– इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग को तिपहिया साइकिल, बैसाखी, जयपुरिया बूट, चश्मा तथा श्रवण सहायक यंत्र इत्यादि क्रय करने के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। इसमें अनुदान की अधिकतम सीमा रुपए 3500 प्रति लाभार्थी है। इस योजना से प्रतिवर्ष लगभग 8000 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाता है। इस हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में रुपए 49.81 लाख का प्रावधान किया गया है एवं रुपए 49.9 एक लाख की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं।

   इस योजना में लाभान्वित करने हेतु लाभार्थी की मासिक आय रु 1000 निर्धारित की गई है

4. दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों एवं उनके सेवा आयोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार व्यवस्था– प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग कर्मचारियों एवं उनके उत्कृष्ट सेवा आयोजकों एवं प्लेसमेंट अधिकारियों को पुरस्कृत किए जाने की योजना है, जिसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति/संस्था को रुपए 5000 के नगद पुरस्कार के अतिरिक्त पदक तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 12 उत्कृष्ट व्यक्तियों एवं बालक को को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
5. राज्य परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगों को निःषुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है– इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों को राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर निःषुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। इसके साथ अति दिव्यांग व्यक्तियों के एक सहयोगी को भी विकलांगों की तरह निःषुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध है।
6. टॉकिंग बुक स्टूडियो की स्थापना व्यवस्था– शारीरिक रूप से दिव्यांगों के लिए टॉकिंग बुक स्टूडियो एवं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के माध्यम से पाठ्य पुस्तकों को उपलब्ध कराकर शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु स्टूडियो के भवन निर्मित किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2001 से 2002 में इस योजना के अंतर्गत रुपए 2.90 लाख का प्रावधान किया गया है।
7. दिव्यांग के विवाह हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार व्यवस्था– सरकार द्वारा विवाहित जोड़े में से कम से कम एक व्यक्ति के दिव्यांग होने पर प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान की धनराशि दी जाती है। इस अनुदान की धनराशि दंपत्ति में केवल युवक के दिव्यांग होने पर रूपये 11000 एवं केवल युवती के अथवा दोनों के दिव्यांग होने पर 14000 निर्धारित की गई है। इस योजना के अंतर्गत चयनित दंपत्ति को पुरस्कार की राशि जनपद में ही स्वीकृत हो जाती है। इस उद्देश्य से अनुदान स्वीकृत करने का अधिकार जिलाधिकारी को प्रदान कर दिया गया है। वर्ष 2000 से 2001 में इस योजना के लिए 33 लाख का प्रावधान किया गया था।
8. स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान व्यवस्था– इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग के कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करने हेतु मध्य प्रदेश शासन की संस्तुति पर भारत सरकार द्वारा अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाता है। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा भी इन स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाता है।
9. दिव्यांग के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण योजना व्यवस्था– दिव्यांग के पुनर्वासन हेतु विभाग द्वारा दुकान निर्माण योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगों को स्वरोजगार हेतु रु 20,000 की राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें रु 15000 4: सूक्ष्म ब्याज दर पर ऋण तथा 5000 का अनुदान होता है इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2000 से 2001 में रुपए 2500 लाख का प्रावधान किया गया है।
10. जिला स्तर पर दिव्यांग बंधु का गठन की व्यवस्था– दिव्यांग जनों की समस्याओं के निराकरण एवं उन्हें एकल खिड़की पद्धति (सिंगल विंडो सिस्टम) मैं विभिन्न उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दिव्यांग बंधु का गठन किया गया है। जिले में दिव्यांग बंधु की बैठक में नियमित रूप से आयोजित करने पर बल दिया गया है।
11. सरकारी सेवा में दिव्यांगजन के आरक्षण की व्यवस्था– शारीरिक रूप से अक्षम, दृष्टिहीन तथा मूकबद मदबुध्दायो के लिए सरकारी सेवाओं में 4: आरक्षण की व्यवस्था की गई सरकारी सेवाओं है एवं मध्य प्रदेश जिसमें से तीनों जन के लिए एक–एक प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है।

**मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा सामाजिक निशक्तजन कल्याण विभाग की शासकीय सुविधाए एवं व्यवस्थाएं**

दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने के लिए आवश्यक है कि उनके स्वयं के प्रयास के साथ साथ शासन एवं समाज के द्वारा उनके लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाए ताकि उन्हें भी समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके एवं उनकी सहभागिता निश्चित की जा सके। मध्यप्रदेश शासन द्वारा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा तथा दिव्यांग जन कल्याण की कई योजनाएं लागू है। इन योजनाओं के द्वारा असहाय व्यक्तियों को लाभ पहुंचा कर उनकी अधिकारिता विकसित कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन हेतु कई सेवाएं प्रदान की जाती है।

इसमें प्रमुख योजनाएं, क्रियान्वयन एजेंसियां, योजना का उद्देश्य एवं लाभान्वित हितग्राहियों की विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है–

**सामाजिक सहायता कार्यक्रम**

सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं–

1. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना

**सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना**

| | | |
|---|---|---|
| क्रियान्वयन एजेंसी | – | शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत |
| कार्यक्षेत्र | – | संपूर्ण मध्य प्रदेश |
| योजना का उद्देश्य | – | दिव्यांग हितग्राहियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना। |
| हितग्राहियों की पात्रता | – | 1. 6 से 14 वर्ष के निराश्रित दिव्यांग बच्चे एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के दिव्यांग बच्चे (चाहे भी निराश्रित ना हो)<br>2. 14 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित दिव्यांग व्यक्ति। |

**कृत्रिम अंग/उपकरण प्रदाय योजना व्यवस्था**

| | | |
|---|---|---|
| क्रियान्वयन एजेंसी | – | पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग |
| कार्यक्षेत्र | – | संपूर्ण मध्य प्रदेश |
| योजना का उद्देश्य | – | दिव्यांग व्यक्तियों की दिव्यांगता कम कर गतिशीलता बढ़ाना |
| हितग्राहियों की पात्रता | – | 1. मध्यप्रदेश भोपाल का निवासी हो<br>2. किसी भी प्रकार की दिव्यांग का 40ः या उससे अधिक ना हो |
| मिलने वाले लाभ | – | माता पिता/अभिभावक या स्वयं की मासिक आय रूपये 5000 प्रति माह होने पर उन्हें निःशुल्क एवं जिन की आय रूपये 5001 से रूपये 8000 के मध्य है। उन्हें संसाधन की 50 रूपये राशि जमा करने पर संसाधन प्रदान किए जाते हैं। योजना अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों को राय साइकिल, बैसाखी, श्रवण यंत्र, ब्रेल किट, व्हील चेयर, टेप रिकॉर्डर, कैलीपर्स, श्वेत छड़ी तथा अन्य कृत्रिम अंग प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम रूपये 6000 तक की राशि के उपकरण प्रदान किए जाने का प्रावधान है। |

**सामर्थ्य विकास योजना**

| | | |
|---|---|---|
| क्रियान्वयन एजेंसी | – | पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग |
| कार्यक्षेत्र | – | संपूर्ण मध्य प्रदेश |
| योजना का उद्देश्य | – | राज्य के समस्त पात्र दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंगध्सहायक उपकरण उपलब्ध कराकर उनकी गतिशीलता बढ़ाना |
| हितग्राहियों की पात्रता | – | 1. मध्य प्रदेश का निवासी हो<br>2. दिव्यांग का 40% या उससे अधिक हो<br>3. माता पिता/अभिभावक की मासिक आय रूपये 8000 प्रति माह से कम हो |
| मिलने वाले लाभ | – | अधिकतम रूपये 6000 तक की राशि के कृत्रिम अंग/उपकरण प्रदान किए जाते हैं। |

**दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना**

| | | |
|---|---|---|
| क्रियान्वयन एजेंसी | – | पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग |
| कार्यक्षेत्र | – | संपूर्ण मध्य प्रदेश |
| योजना का उद्देश्य | – | दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना। |
| हितग्राहियों की पात्रता | – | 1. मध्य प्रदेश का निवासी हो।<br>2. दिव्यांगता 40% या उससे अधिक हो<br>3. शाला/महाविद्यालय/तकनीकी शाला का नियमित छात्र हो<br>4. माता पिता/अभिभावक की मासिक आय रु 8000 प्रति माह से कम हो |
| मिलने वाले लाभ | – | 1. कक्षा पहली से कक्षा पांचवी तक रूपये 50<br>2. कक्षा छठवीं से कक्षा आठवीं तक रूपये 60<br>3. कक्षा नवमी विषय कक्षा बारहवीं तक रूपये 70 |

**दिव्यांगजनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम**

| | | |
|---|---|---|
| क्रियान्वयन एजेंसी | – | संयुक्त संचालक/उपसंचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग |
| कार्यक्षेत्र | – | संपूर्ण मध्य प्रदेश |
| योजना का उद्देश्य | – | दिव्यांगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर स्वाबलंबी तथा आत्मनिर्भर बनाना। |
| हितग्राहियों की पात्रता | – | 1. 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति<br>2. आयु 16 वर्ष से 35 वर्ष के बीच हो।<br>3. कम से कम पांचवी कक्षा उत्तीर्ण हो |
| मिलने वाले लाभ | – | विभिन्न रोजगार मूलक व्यवसायिक प्रशिक्षण निम्नानुसार है– पेंटिंग, प्रिंटिंग, टेलरिंग, मोटर वाइंडिंग, टाइपिंग, कंप्यूटर, निःशुल्क समिति छात्रावास सुविधा |

**दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना**

| | | |
|---|---|---|
| क्रियान्वयन एजेंसी | – | पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग |
| कार्यक्षेत्र | – | संपूर्ण मध्य प्रदेश |
| योजना का उद्देश्य | – | गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वासन की दृष्टि से विवाह हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना। |
| हितग्राहियों की पात्रता | – | 1. मध्य प्रदेश का निवासी हो<br>2. दिव्यांग का 40% या उससे अधिक हो<br>3. आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष से कम |
| मिलने वाले लाभ | – | रूपये 21000 एकमुश्त |

**सेरेब्रल पाल्सी गेट लैब**

निःशक्तता अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत दिव्यांग ताकि शीघ्र पहचान कर उनका उपचार किया जाना राज्य शासन का दायित्व है। प्रमस्तिष्क अंगघात के दिव्यांग व्यक्तियों की शीघ्र पहचान एवं उपचार हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा सीपी गेट लैब की स्थापना की गई है जिसके तीन भाग हैं।

1. 9 इंफ्रारेड कैमरे तथा दो अल्ट्रावायलेट कैमरों के साथ सुसज्जित गेट लैब जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों की मांसपेशियों, जोड़ो तथा चलने की प्रक्रिया का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है तथा उनकी स्थिति की विवेचना पर उपचार हेतु चयनित किया जाता है।
2. आइसोकेनेटिक उपकरण द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के जोड़ों तथा मांसपेशियों की विशेषज्ञों द्वारा कसरतें कराई जाती है
3. निशक्त व्यक्तियों की चलन क्षमता को ठीक करने हेतु गेट ट्रेनर ट्रेडमिल पर चलाया जाता है जिसके द्वारा उनके चलन शीलता के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है।
4. केंद्र में प्रतिदिन 20 से 25 दिव्यांग व्यक्तियों का उपचार एवं पहचान का कार्य किया जा रहा है।

दिव्यांग महिलाएं जनगणना 2001 के अनुसार देश में 93.01 लाख महिलाएं हैं जो कि कुल दिव्यांग ताकि आबादी का 42.46% हिस्सा निर्मित करती है। और यह कारण है कि दिव्यांग महिलाओं को शोषण एवं दुर्भाग्य से बचाने की आवश्यकता है। दिव्यांग महिलाओं की जरूरत को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, रोजगार एवं अन्य प्रकार के पुनर्वास सेवाओं के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा विशेष शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना की गई है। परित्यक्त दिव्यांग महिलाएं/लड़कियों के पुनर्वास के लिए कार्यक्रम चलाए गए हैं। जहां कहीं भी परिवारों द्वारा उन्हें स्वीकार कर और उनके निवास में मदद करने एवं लाभदायक रोजगार योग्यताएं भी हासिल कराने का प्रयास किए गए हैं। भारत सरकार एवं राज्य सरकार उन विभिन्न परियोजनाओं को भी प्रोत्साहित कर रही है जहां दिव्यांग महिलाओं के प्रतिनिधि को कम से कम 20% तक का लाभ प्रदान किया जा सके।

इसके अतिरिक्त उन दिव्यांग महिलाओं के लिए भी कम समय के लिए रहने का घर, नौकरी पेशा महिला के लिए हॉस्टल एवं बुजुर्ग दिव्यांग महिलाओं के लिए घर की सुविधा के लिए कदम उठाए गए हैं।

यह भी देखा गया है कि दिव्यांग का से ग्रस्त महिलाओं में उनके बच्चों की देखभाल की समस्या होती है। सरकार ऐसी दिव्यांग महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपने बच्चों के परवरिश के लिए जरूरत की सेवाओं को उपलब्ध करा सके। ऐसी सहायता अधिकतम 2 सालों तक 2 बच्चों के लिए मुहैया कराई जाएगी।

**स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायक अनुदान योजना**

| | | |
|---|---|---|
| क्रियान्वयन एजेंसी | – | पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग |
| कार्यक्षेत्र | – | संपूर्ण मध्य प्रदेश |
| योजना का उद्देश्य | – | 1. स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से निशक्त बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु अनुदान।<br>2. दिव्यांगता 40% या उससे अधिक हो<br>3. माता पिता/अभिभावक की मासिक आय रूपये 8000 प्रति माह से कम हो<br>4. आयु 6 वर्ष से अधिक तथा 10 वर्ष से कम हो |
| हितग्राहियों की पात्रता | – | ऐसी संस्थाएं जो पंजीकृत हो एवं विभाग से मान्यता प्राप्त हो तो कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव रखते हो। |
| मिलने वाले लाभ | – | शिक्षा, पूर्व व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा निःशुल्क छात्रावास सुविधा |

संस्था की तरफ से आपके बच्चों को दिव्यांगता को कम करने के लिए उपकरण की स्थिति?

| क्रमांक | विवरण | संख्या | प्रतिषत |
|---|---|---|---|
| 1 | एयर मषीन | 76 | 38.0% |
| 2 | ब्रेल लिपी | 60 | 30.0% |
| 3 | चेयर एवं साइकिल | 26 | 13.0% |
| 4 | अन्य | 38 | 19.0% |
| योग | | 200 | 100.0% |

उपरोक्त क्रमांक 7.7 के अनुसार दिव्यांग उत्तरदाता के माता–पिता संस्था की तरफ से आपके बच्चे की दिव्यांगता को कम करने के उपकरण दिया जाने के संबंध का विवरण दिया गया है उत्तरदाता 200 एयर मशीन के द्वारा की संख्या 76 है जिसका प्रतिशत 38.0 रहा है। वही ब्रेल लिपि के द्वारा की संख्या 60 है जिसका प्रतिशत 30 रहा है। वही चेयर एवं साइकिल के द्वारा कम

की जा सकती है की संख्या 26 से जिसका प्रतिशत 13.0 रहा है। वहीं अन्य के द्वारा की संख्या 38 है जिसका प्रतिशत 19.0 रहा है।

आपकी संस्था में क्या–क्या सुविधा दी जाती है की स्थिति?

| क्रमांक | विवरण | संख्या | प्रतिषत |
|---|---|---|---|
| 1 | नई पुस्तकें | 36 | 18.0% |
| 2 | स्कॉलर छात्रवृत्ति | 84 | 42.0% |
| 3 | पुस्तकें | 48 | 24.0% |
| 4 | मिडेड | 27 | 13.5% |
| 5 | अन्य | 05 | 2.5% |
| योग | | 200 | 100.0% |

उपरोक्त तालिका क्रमांक 7.9 के अनुसार दिव्यांग उत्तरदाता छात्र छात्रों की आप की संस्था में क्या–क्या सुविधा दी जानी है? के संबंध का विवरण दिया गया है उत्तरदाता 200 में से कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है जिसकी संख्या 36 है जिसका प्रतिशत 18.0 रहा है वही छात्रवृत्ति की सुविधा दी जाती है जिसकी संख्या 84 है। जिसका प्रतिशत 42.0 रहा है। व पुस्तके की सुविधा देने की संख्या 48 है जिसका प्रतिशत 24.0 रहा है। मिडेड की संख्या 27 है जिसका प्रतिशत 13.9 रहा है वहीं अन्य की सुविधा की संख्या 5है जिसका प्रतिशत 2.5 रहा है।

अतः उपरोक्त तालिका के अवलोकन के अनुसार सर्वाधिक सुविधा पुस्तके की संख्या 84 है जिसका प्रतिशत 42.0 रहा है वही सबसे कम अन्य सुविधा देने की संख्या 5 है जिसका प्रतिशत 2.5 रहा है।

आपको पौष्टिक आहार दिया जाने की स्थिति?

| क्रमांक | विवरण | संख्या | प्रतिषत |
|---|---|---|---|
| 1 | नहीं | 41 | 20.5% |
| 2 | अन्य | 159 | 79.5% |
| योग | | 200 | 100.0% |

उपरोक्त तालिका क्रमांक 7.10 के अनुसार दिव्यांग उत्तरदाता छात्र–छात्राओं आपको पौष्टिक आहार दिया जाता है और वो किस प्रकार का है? के संबंध का विवरण दिया गया है उत्तरदाता 200 में से पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता है संख्या 41 है जिसका प्रतिशत 20.5 रहा है वहीं अन्य पौष्टिक आहार की संख्या 159 है 79.5 रहा है।

अतः उपरोक्त तालिका के अवलोकन के अनुसार सर्वाधिक अन्य पौष्टिक आहार दिया जाता है कि संख्या 159 है जिसका प्रतिशत 79.5 रहा है वही सबसे कम नहीं की संख्या 40 है जिसका प्रतिशत 20.5 रहा है।

नोट– जैसे कि अन्य पौष्टिक आहार दिया जाता है जैसे कि पोहा खिचड़ी कभी–कभी मौसमी फल दिया जाता है वहीं कुछ ऐसी भी संख्या है जहां कुछ भी पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता है वही दिव्यांग माता–पिता को अपने दिव्यांग बच्चों की थेरेपी एवं ब्रेल लिपि या कंप्यूटर सीखने के लिए कुछ शुल्क जमा करना पड़ती है और हर महीने 3000 देनी पड़ती है।

राज्य सरकार की तरफ से पुनर्वास योजनाओं का लाभ आपके बच्चे को मिलने की स्थिति?

| क्रमांक | विवरण | संख्या | प्रतिषत |
|---|---|---|---|
| 1 | नहीं | 22 | 11.0% |
| 2 | कुछ सीमा तक | 178 | 89.0% |
| योग | | 200 | 100.0% |

उपरोक्त तालिका क्रमांक 7.19 के अनुसार दिव्यांग उत्तरदाताओं के माता–पिता से राज्य सरकार की तरफ से पुनर्वास योजनाओं का लाभ आप के बच्चे को मिल रहा है? के संबंध का विवरण दिया गया है उत्तरदाता 200 जिसमें नहीं की संख्या 22 जिसका प्रतिशत 11.0 रहा है व कुछ सीमा तक की संख्या 178 है जिसका प्रतिशत 89% रहा है।

अतः उपरोक्त तालिका के अवलोकन के अनुसार सर्वाधिक उत्तरदाता कुछ सीमा तक की संख्या 178 है उसको प्रतिशत 89% रहा है वही सबसे कम कि नहीं की संख्या 22 है जिसका प्रतिशत 11.0 रहा है।

**परिणत**

निरन्तर बढती विकलांग जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए विश्वभर में अनेकों प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं परन्त इसकेाद भी इस पर पूरी तरह नियंत्रण कर पाना कठिन दिखाई दे रहा है। दिव्यणता पर नियंत्रण न पाने की स्थिति में पुर्न्वास सेवाओं पर आधक बल देने की आवश्यकता पड़ रही है। आज हम दिव्यागा की शिक्षा, उपचार व्यादसायिक प्रशिक्षण, रोजगार के साथ–साथ उनके सामाजीकरण के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रहे है। इनकी बढ़ती जनसंखया एंव समस्या को देखते हुए विनिन्न प्रकार की कल्याण्कारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जिसमें विश्वस्तर पर रणनीतियां तैयार की गई हैं। भारत सरकार तथा प्रदेश सरकारों के अतिस्वि सुसरे देशो की उनेको एजोन्सियां विकलाग कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। विगत दो दशक में दिव्याग पुनर्वास पुनर्वास के क्षेत्र में युद्व स्तर पर कार्य किर्य गये हैं जिसमें अन्तर्राष्टीय राष्टीय राजकीय एवं स्थानीय स्तर पर कार्य कर रहे सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके लिए गठित तमाम समितियां तथा संचालित राष्टीय संस्थानों ने इनके शिक्षण प्रशिक्षण तकनीकी में विकास कर इन्हें आधुनिकतम सेवाएं प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिले एवं स्थानीय स्तर पर पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में केन्द एवं प्रदेश सरकार ने असवशक कदम उठाये है, परन्तु सेवाओं एवं संसाधनों की पूर्ति तथा जागरूकता की दिशा में अभी बहुत कुछ करना शेष है। जिसके उपरान्त की सम्पूर्ण पुनर्वास की संज्ञा दिया जाना सम्भव होगा।

**अध्ययन विधि**

**द्वितीयक तथ्य एकत्रीकरण**

द्वितीयक तथ्य सरकारी व गैर सरकारी विभिन्न प्रकाशनों से प्राप्त होते हैं। सामाजिक समस्या को समझने में द्वितीयक तत्व बहुत सहायक होते हैं। यह सामाजिक घटना या समस्या का तुलनात्मक अध्ययन करने में उपयोगी रहते हैं। द्वितीय तत्व को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित स्रोतों का उपयोग किया जाता है।

1. सरकारी प्रकाशन

2. पत्र–पत्रिका
3. अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन
4. इंटरनेट
5. ग्रंथालय

**निष्कर्ष**

वर्तमान समय में शिक्षा अनिवार्य हो गयी है जिसमें दिव्यांग बच्चों को विशेष तौर पर सरकारी सुविधायें व शिक्षा के प्रति समाज को जागरूक करना है।

इसके अतिरिक्त हमारे देश के सभी बड़े नगरों में किसी ना किसी रूप में कृत्रिम अंगों को बनाने की व्यवस्था है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला और अन्य सभी बड़े स्थानों में कृत्रिम अंगों को बनाने का प्रबंध है। कानपुर का आर्टिफिशियल लिंब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन देश में विशेष रूप से अग्रणी है। ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली के पुनर्वास एवं कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं। जयपुर का भगवान महावीर दिव्यांग समिति संगठन ना केवल कृत्रिम अंगों का निर्माण कर रहा है बल्कि निःषुल्क वितरण भी कर रहा है। कृत्रिम अंगों का मूल्य सरकारी क्षेत्र में बहुत ही कम है। निर्धन लोगों को सरकारी सहयोग से कृत्रिम अंग आदि प्रदान भी किए जाते हैं। इसलिए दिव्यांग व्यक्तियों को अपने क्षेत्र के कल्याण विभाग, रेडक्रॉस से संपर्क कर कृत्रिम अंगों को लेने की सहायता लेनी चाहिए।

**संदर्भ ग्रन्थ सूचि**

1. *आधुनिक भारतीय शिक्षा एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली*
2. *रेड्डी, जी.एल., रेमर, आर. कुसुमा (2002) "ए एज्यूकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स" डिस्कवरिंग पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।*
3. *समाज कल्याण विभाग, भोपाल । 5-16*
4. *इंटरनेट*
5. *विकिपीडिया*
6. *httc:/wwwsocial Justics m.p.gov.*